

14/03/2024

कार्यालय नजारात, जनपद न्यायालय, बाराबंकी

इरिहात नीलामी ठेका वर्ष 2024-2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित ठेको की नीलामी दि० 27.03.2024 को समय 4.30 बजे सायं न्यायालय माननीय जनपद न्यायाधीश के सामने स्थित लॉन में सम्पन्न होगी।

1. दुकान नं० 01, चाय, मीठा, नमकीन निकट ए०डी०आर० क्षेत्रफल 10X15 फिट।
2. दुकान नं० 02, चाय, मीठा, नमकीन, साइकिल स्टैण्ड, दीवानी ब्लाक पीपल पेड के पास क्षेत्रफल 10X15 फिट।
2. दुकान नं० 03, चाय, मीठा, नमकीन, पी०डब्लू०डी० बाउन्ड्री के निकट क्षेत्रफल 10X15 फिट।
4. दुकान नं० 04, चाय, मीठा, नमकीन, लाकप भवन के निकट कुए के पास के पास क्षेत्रफल 10X15 फिट।
5. ठेका लइया चना, जिला जजी परिसर में चौकीदार के पुराने आवास के निकट क्षेत्रफल 10X15 फिट।
6. ठेका फ्रूट जूस, फलो का रस एवं फलो की चाट स्थित जिला जजी परिसर में चौकीदार निवास के निकट क्षेत्रफल 10X15 फिट।
7. ठेका स्टेशनरी लाकप भवन के निकट कुए के पास क्षेत्रफल 10X15 फिट।
8. ठेका फोटो स्टेट न्यायभवन के सामने क्षेत्रफल 10X15 फिट।
9. ठेका फोटो ग्राफी न्यायभवन के सामने क्षेत्रफल 10X15 फिट।

नियम व शर्तें

1. उक्त ठेकों की बोली बोलने हेतु आवेदक को निर्धारित न्यूनतम धनराशि का 10 प्रतिशत राशि नकद प्रतिभू राशि दि० 27.03.2024 को दोपहर 4:00 बजे तक जमा करनी होगी।
2. नीलामी में भाग लेने हेतु प्रत्येक व्यक्ति को अपना आधार कार्ड, पहचान पत्र तथा निवास प्रमाण-पत्र जो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत किया गया हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।
3. ठेका की अवधि दि० 01.04.2024 से दि० 31.03.2025 तक होगी।
4. जिस भागीदार की बोली सबसे अधिक होगी, उसकी बोली स्वीकृत होने पर तीन किशतों में ठेका धनराशि देय होगी। जिसमें एक किशत बोली स्वीकृत होने पर स्वीकृत बोली का 50 प्रतिशत धनराशि के रूप में जमा करनी होगी। द्वितीय किशत के रूप में स्वीकृत बोली का 25 प्रतिशत धनराशि व तृतीय किशत के रूप में स्वीकृत बोली का 25 प्रतिशत धनराशि कार्यालय द्वारा निर्धारित तिथियों में देय होगी।
5. बोली दाता की बोली स्वीकार होने पर व्यवसाय प्रारम्भ करने से पूर्व स्टाम्प पेपर पर लीज डीड निष्पादित करना अनिवार्य होगा, तभी व्यवसाय प्रारम्भ कर सकेगा, किसी भी ठेकेदार को सड़क पर व्यवसाय करने की अनुमति नहीं होगी, ठेका स्थल की साफ सफाई की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, ठेकेदार खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता व साफ सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे, साफ सफाई हेतु डेस्टविन का प्रयोग अवश्य करेंगे।
6. अद्योहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा को निरस्त कर सकते हैं।
7. निर्धारित समय पर वांछित किशत न जमा करने पर ठेका स्वयं निरस्त हो जायेगा। जिसके फलस्वरूप पुनः नीलामी में जो नुकसान होगा वह ठेकेदार की चल अचल सम्पत्ति से वसूला जायेगा तथा शेष जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
8. ठेकेदार को दुकान के अन्दर व बाहर साफ सफाई की व्यवस्था स्वयं करनी होगी तथा सारा सामान बर्तन पानी आदि स्वच्छ रखना होगा।
9. ठेकेदार को प्रत्येक दुकान हेतु निर्धारित भूमि में ठेका अवधि तक के लिए अस्थाई निर्माण को अपने व्यय पर करना होगा तथा ठेका अवधि समाप्त होने पर उक्त अस्थाई निर्माण को अपने व्यय पर हटाना होगा।
10. ठेका पर नगर परिषद द्वारा कोई कर अध्यारोपित की जाती है तो उसकी अदायगी का उत्तरदायी स्वयं ठेकेदार का होगा।
11. ठेकेदार को दुकान पर रेट बोर्ड लगाना होगा, जो बाजार की दरों के अनुरूप होगा अथवा अद्योहस्ताक्षरी द्वारा स्वीकृत किया हुआ होगा।
12. ठेकेदार द्वारा ठेके की शर्तों का ठेका अवधि में किसी भी प्रकार से उल्लंघन करने पर ठेका अद्योहस्ताक्षरी द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।
13. उपरोक्त दुकानों की कमवार बोली हेतु निर्धारित न्यूनतम धनराशि (पिछली बोली का 10 प्रतिशत मिलाकर) निम्नवत हैं।

1. दुकान नं०01, चाय,मीठा,नमकीन -	रु०	1,35,300.00
2. दुकान नं०02, चाय,मीठा,नमकीन -	रु०	1,27,050.00
3. दुकान नं०03, चाय,मीठा,नमकीन -	रु०	31,075.00
4. दुकान नं०04, चाय,मीठा,नमकीन -	रु०	2,26,600.00
5. ठेका लइया चना -	रु०	29,645.00
6. ठेका फ्रूट जूस -	रु०	37,180.00
7. ठेका स्टेशनरी -	रु०	24,420.00
8. ठेका फोटो स्टेट -	रु०	38,720.00
9. ठेका फोटो ग्राफी -	रु०	10,340.00

Ashu P.H.
13/5/24
(अभिषेक त्रिपाठी)

सदस्य,
नीलामी समिति/
अपर सिविल जज (सी०डि०),
न्यायालय सं० 17, बाराबंकी।

Shri K. Chandra Singh
13/5/24
(श्रीकृष्ण चन्द्र सिंह)

सदस्य,
नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
न्यायालय सं० 05, बाराबंकी।

Rajiv
13/5/24
(राजीव महेश्वरम)

अध्यक्ष,
नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट
न्यायालय सं० 44, बाराबंकी।

So to do the
needful -
14/3/2024

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को अपलोड एवं प्रकाशन हेतु प्रेषित।

1. न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

2. जिलाधिकारी/एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

जनपद के समस्त मुख्य कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

1. कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बाराबंकी।

2. कार्यालय जिलाधिकारी, बाराबंकी।

Contact Name:- Pradeep Kumar Srivastava, Central Nazir

Contact Email:- dcbri@allahabadhighcourt.in

Contact No. :- 7860516360

Publishing Dt.:- 13.03.2024

Closing Dt.:- 27.03.2024